उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–305/2015/XXVII(9)/मनो0कर–34/2012
देहरादून ::दिनांक : 21 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर निरीक्षक सेवा नियमावली, 1982 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड आमोद और पणकर निरीक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आमोद और पणकर निरीक्षक सेवा (संशोधन), नियमावली, 2015 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम 5 के उपनियम (1) का संशोधन

2. उ0प्र0 आमोद और पणकर निरीक्षक सेवा नियमावली, 1982 के नियम 5 के उपनियम (1)(ख) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5(1)(ख) आमोद और पणकर विभाग के लिपिक वर्ग अधिष्ठान के 430–685 रूपये के वेतनमान में स्थाई ज्येष्ठ लिपिकों और 515–840 रूपये के वेतनमान में आशुलिपिकों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर अवधि के लिये कोई लिपिक वर्गीय पद धारण किया हो : परन्तु भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि यथासंभव, संवर्ग में 25 प्रतिशत पद पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा (आशुलिपिकों के लिये 33 प्रतिशत और स्थायी ज्येष्ठ लिपिकों के लिये 67 प्रतिशत के अनुपात में) और शेष सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों द्वारा धारण किये जायें ।	**5(1)(ख)** आमोद और पणकर विभाग के लिपिक वर्ग अधिष्ठान के वेतनमान ₹ 5200–20200 ग्रेड वेतन ₹ 2800 में स्थाई वरिष्ठ सहायकों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा के लिये कोई लिपिक वर्गीय पद धारण किया हो : परन्तु भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि यथासंभव, संवर्ग में 25 प्रतिशत पद स्थाई पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा और शेष सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों द्वारा धारण किये जायें ।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।